प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 07.06.2026

थाना इन्दिरापुरम कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस टीम द्वारा स्नैचर व लूटेरा एक अभियुक्त पुलिस मुढभेड मे गिरफ्तार, अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त स्कूटी व एक पीली धातु की चेन का टूटा हुआ टुकडा व 01 अदद अवैध तमंचा मय 01 अदद खोखा कारतूस व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद।

गिरफ्तारी / पुलिस मुठभेड का विवरण – थाना इन्दिरापुरम क्षेत्र मे हुई स्नैचिंग व लूट की घटनाओं के अनावरण व अपराध की रोकथाम हेतु उच्चाधिकारीगणो के निर्देशन व कुशल पर्यवेक्षण मे स्नैचिंग व लूट की घटनाओं की रोकथाम हेतु आज दिनांक 07.06.2026 को समय करीब 12.20 बजे थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा 5/6 की पुलिया वैशाली से करीब डेढ़ सौ मीटर दूरी पर कनावनी पुलिया की तरफ जाने वाली सर्विस रोड पर चेकिंग कर रहे थे कनवानी पुलिया की तरफ से एक स्कूटी सवार तेजी से आता हुआ दिखाई दिया पुलिस द्वारा रुकने का इशारा किया गया परन्तु स्कूटी सवार व्यक्ति नही रुका तथा स्कूटी को तेजी से मोड़कर कनावनी पुलिया की तरफ जाने वाले रोड की तरफ भागने लगे, तभी पुलिस द्वारा पीछा करने पर पुलिस से बचकर भागने की जल्दी व हडबडाहट में स्कूटी फिसलकर रोड पर गिर गई उस व्यक्ति ने अपने आप को पुलिस से घिरा देखकर खुद को पुलिस के हवाले करने के बजाय अपने पास लिए तमंचे से पुलिस वालों को निशाना बनाकर जान से मारने की नियत से फायर किया, जिससे पुलिस पार्टी मे शामिल लोग बाल बाल बचे पुलिस पार्टी द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्यवाही मे अपने जान माल की सुरक्षा हेतु पुलिस टीम द्वारा अपने आप को बचाते हुए पुलिस पार्टी द्वारा अपनी सरकारी पिस्टल से सिखलाए हुए तरीके से बदमाश की तरफ एक राउण्ड फायर किया जिससे बदमाश कपिल पुत्र अरविंद निवासी गली नंबर 6 चंद बाग थाना दयालपुर दिल्ली मूल निवासी ग्राम अखेपुर थाना सरधना मेरठ के पैर मे गोली लगी जिससे बदमाश घायल होकर नीचे गिर गया पुलिस टीम द्वारा बदमाश की जामा तालाशी से उसके कब्जे से 01 अदद नाजायज तमंचा .315 बोर मय 01 खोखा व 01 जिन्दा कारतूस व एक पीली धातु की चेन का टूटा हुआ टुकडा व घटना मे प्रयुक्त स्कूटी सहित गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ का विवरण – गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा पूछताछ के दौरान बताया कि मैं गाजियाबाद, दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में राह चलते लोगों से महिलाओं से चैन लूटकर दिल्ली में सस्ते दामों में बेचकर पैसे कमा लेता हूँ। और उन पैसों को अपने शौक मौज में खर्च कर देता हुँ। दिनांक 22/05/2026 को भी मैने थाना इन्दिरापुम मे घटना की थी।

नाम पता/विवरण गिरफ्तार अभियुक्त

- कपिल पुत्र अरविंद निवासी गली नंबर 6 चंद बाग थाना दयालपुर दिल्ली मूल निवासी ग्राम अखेपुर थाना सरधना मेरठ उम्र करीब 27 वर्ष ।

बरामदगी

- 01 अदद तमंचा 315 बोर
- 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर
- 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर
- एक पीली धातु की चेन का टूटा हुआ टुकड़ा (सम्बन्धित मु0अ0सं0- 449/2026 धारा 304(2) BNS)
- 01 स्कूटी बिना नम्बर प्लेट घटना मे प्रयुक्त ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त –

- अभियुक्त कपिल पुत्र अरविंद उपरोक्त के विरुद्ध दिल्ली मे लूट, चोरी, व आर्म्स एक्ट , एनडीपीएस एक्ट के करीब एक दर्जन अभियोग तथा जनपद मेरठ मे एक अभियोग स्नैचिंग का पंजीकृत है । व अन्य अभियोग की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

- थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 02 शातिर चोर गिरफ्तार , कब्जे से 01 ई-रिक्शा चोरी का तथा 01 अवैध चाकू बरामद ।

कार्यवाही का विवरणः- दिनांक 07.06.2026 को थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर 02 अभियुक्त 1. साबेज पुत्र लियाकत अली निवासी बलरामनगर सुनहरी मस्जिद थाना लोनी उम्र करीब 26 वर्ष 2. अस्मत पुत्र अजीमुद्दीन निवासी लाल बत्ती के पास शौचालय थाना सीमापुरी दिल्ली उम्र करीब 27 वर्ष को एक ई रिक्शा चोरी का व एक अवैध चाकू सहित सर्विस रोड गन्दे नाले के पास शालीमार गार्डन से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामदगी के आधार पर धारा 317(5) बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण :- अभियुक्तों द्वारा पूछताछ में बताया गया कि साहब यह ई-रिक्शा आज ही हम दोनो ने वजीराबाद रोड से चोरी किया गया था साहब हम लोग इस ई-रिक्शा को कही सुरक्षित जगह खड़ा करने के लिये जा रहे थे आपने पकड़ लिया तथा व्यक्ति से चाकू रखने के सम्बन्ध में पूछ गया तो उसके द्वारा बताया गया साहब हम दोनो घरो में चोरी करते है यह चाकू हमनें अपने बचाव व लोगो को डराने के लिये ले रखा है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पताः-

1. साबेज पुत्र लियाकत अली निवासी बलरामनगर सुनहरी मस्जिद थाना लोनी उम्र करीब 26 वर्ष।
2. अस्मत पुत्र अजीमुद्दीन निवासी लाल बत्ती के पास शौचालय थाना सीमापुरी दिल्ली उम्र करीब 27 वर्ष।

बरामदगी का विवरण:-

- 01 ई-रिक्शा चोरी का तथा 01 अवैध चाकू बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास:-

- गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना शालीमार गार्डन गाजियाबाद पर उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। शेष आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम।

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 02 शातिर चोर गिरफ्तार , कब्जे से चोरी की 01 स्कूटी बरामद।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 06.06.2026 को शौचालय कट डीएलएफ से थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर 02 अभियुक्त 1.अजहर पुत्र यूनुस निवासी सी-6 दो न0 गेट के पास डीएलएफ थाना शालीमार गार्डन कमि0 गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष 2. दीपक पुत्र हरीनाथ निवासी म0न0 डी-118 गली न0 4 पप्पू कालौनी थाना शालीमार गार्डन कमि0 गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष को एक स्कूटी होन्डा कम्पनी को शौचालय कट के पास से डीएलएफ से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामदगी के आधार पर धारा 317(2)/317(5) बीएनएस पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण :- अभियुक्तों द्वारा पूछताछ में बताया गया कि साहब करीब 15 दिन पहले हमनें यह स्कूटी दिल्ली के वेलकम थाना क्षेत्र से चोरी की थी। हम नशा करने के आदी है चोरी व छीना छपटी करके जो भी सामान मिलता है उसे बेच कर नशा कर लेते है। आज हम इस स्कूटी से मोबाइल छीनने की फिराक मे घूम रहे थे कि आपने पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

1. अजहर पुत्र यूनुस निवासी सी-6 दो न0 गेट के पास डीएलएफ थाना शालीमार गार्डन कमि0 गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष।
2. दीपक पुत्र हरीनाथ निवासी म0न0 डी-118 गली न0 4 पप्पू कालौनी थाना शालीमार गार्डन कमि0 गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष।

बरामदगी का विवरण:-

- 01 स्कूटी चोरी की बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास:-

- गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध गाजियाबाद व दिल्ली एनसीआर में चोरी करने व चोरी का माल बरामद करने के सम्बन्ध में 02 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम।

थाना लोनी पुलिस द्वारा अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 30.05.2026 को थाना लोनी पर वादी सुरेन्द्र पुत्र राममहर निवासी ग्राम गनोली थाना लोनी कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा तहरीर दी गयी कि दिनांक 30.05.2026 को अभियुक्त 1. गौरव पुत्र विजेन्द्र निवासी ग्राम गनौली 2. सौरभ उर्फ भोला पुत्र विजेन्द्र निवासी ग्राम गनौली 3. गोपाल पुत्र रमेश निवासी ग्राम गनौली 4. गौरव निवासी बादलपुर गौतमबुद्धनगर 5. मोहित पुत्र मुकुट पंडित निवासी ग्राम गनौली व अन्य द्वारा गोली मारकर अपहरण कर गाडी में जबरन डाल कर अपने साथ ले जाना जिसके सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी पर तत्काल सुसंगत धारा- 109(1)/140(3)/3(5) बीएनएस के अन्तर्गत मु0अ0स0152/2026 पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण व गिरफ्तारी हेतु कई पुलिस टीमें का गठन किया गया तत्पश्चात वांछित अभियुक्तगण 1. गौरव पुत्र विजेन्द्र निवासी ग्राम गनौली 2. सौरभ उर्फ भोला पुत्र विजेन्द्र निवासी ग्राम गनौली 3. गोपाल पुत्र रमेश निवासी ग्राम गनौली 4. गौरव निवासी बादलपुर गौतमबुद्धनगर 5. मोहित पुत्र मुकुट पंडित निवासी ग्राम गनौली पर 50-50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था। तत्पश्चात दिनांक 05.06.2026 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा सीसीटीवी कैमरे, सर्विलांस व मैनुअल इनपुट के आधार पर उपरोक्त अभियोग में वांछित/नामित 50 हजार रु0 का इनामी अभियुक्त 1.मोहित पुत्र मुकुट पंडित निवासी ग्राम गनौली थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष तथा उपरोक्त अभियोग में वांछित/नामित 50 हजार रु0 का इनामी अभियुक्त गौरव पुत्र विजेन्द्र निवासी ग्राम गनौली उम्र करीब 28 वर्ष को (पुलिस मुठभेड के दौरान) गिरफ्तार किया जा चुका है। विवेचना के क्रम में वांछित अभियुक्तगण को संरक्षण देने व आपराधिक षड़यन्त्र में संलिप्त अभियुक्त विकास पुत्र धर्मपाल निवासी बादलपुर थाना बादलपुर जनपद गौतमबुद्धनगर उम्र करीब 34 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। इसी प्रकरण में निरोधात्मक कार्यवाही अमल में लाया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। **प्रकरण में अब तक कुल 29 अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा चुकी है।**

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्तगण ने पूछताछ के दौरान बताया कि विपक्षीगण से पुरानी रंजिश चली आ रही है जिसके कारण विपक्षीगण से रंजिश का बदला लेने के लिए आपराधिक षडयन्त्र के तहत इस घटना को अंजाम दिया है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता–

विकास पुत्र धर्मपाल निवासी बादलपुर थाना बादलपुर जनपद गौतमबुद्धनगर उम्र करीब 34 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना लोनी पर 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना लोनी पुलिस टीम।

पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद में संचालित "ऑपरेशन क्लीन" अभियान के अंतर्गत थाना साहिबाबाद क्षेत्र में अपराधियों एवं हिस्ट्रीशीटरों के सत्यापन हेतु विशेष अभियान चलाया गया।

श्री जे. रविन्दर गौड़, पुलिस आयुक्त गाजियाबाद के निर्देशन में संचालित "ऑपरेशन क्लीन" अभियान के अंतर्गत आज थाना साहिबाबाद क्षेत्र की चौकी शहीद नगर में अपराधियों, हिस्ट्रीशीटरों, लुटेरों, स्नैचरों एवं अन्य आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों के सत्यापन हेतु विशेष अभियान चलाया गया। यह अभियान सहायक पुलिस आयुक्त साहिबाबाद के नेतृत्व में संचालित किया गया, जिसमें थाना साहिबाबाद एवं थाना लिंक रोड के प्रभारी निरीक्षकगण, समस्त चौकी प्रभारी, चौकियों का पुलिस बल, पीएसी, आरआरएफ तथा डॉग स्क्वॉड टीम द्वारा सहभागिता की गई। अभियान के दौरान कुल 08 टीमों का गठन कर चौकी शहीद नगर क्षेत्र को 08 अलग-अलग ब्लॉकों में विभाजित करते हुए व्यापक सत्यापन एवं चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान का उद्देश्य क्षेत्र में अपराध नियंत्रण, कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखना तथा आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करना रहा।

अभियान की प्रमुख कार्यवाही:-

• क्षेत्र में निवासरत हिस्ट्रीशीटरों, लूट, स्नैचिंग एवं अन्य गंभीर अपराधों में संलिप्त अपराधियों का सत्यापन किया गया।

• संबंधित व्यक्तियों के निवास स्थानों पर जाकर उनके वर्तमान पते, गतिविधियों, रोजगार एवं अन्य आवश्यक विवरणों का सत्यापन किया गया।

• पूर्व में शरीर एवं संपत्ति संबंधी अपराधों में संलिप्त रहे अपराधियों की वर्तमान गतिविधियों की समीक्षा कर उन पर प्रभावी निगरानी सुनिश्चित की गई।

• सत्यापन के दौरान संदिग्ध व्यक्तियों एवं स्थानों की गहन चेकिंग की गई।

• सभी सत्यापित व्यक्तियों को भविष्य में किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों से दूर रहने तथा कानून का पालन करने हेतु निर्देशित किया गया।

• अपराधियों को आमजन में भय अथवा असुरक्षा का वातावरण उत्पन्न न करने की चेतावनी दी गई।

सभी सत्यापित अपराधियों को स्पष्ट रूप से अवगत कराया गया कि भविष्य में किसी भी प्रकार की आपराधिक अथवा अवैध गतिविधि में संलिप्त पाए जाने पर उनके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

पुलिस का संदेश:-

थाना साहिबाबाद पुलिस क्षेत्र में शांति, सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। अपराधियों की निगरानी, सत्यापन एवं अपराध नियंत्रण हेतु ऐसे विशेष अभियान भविष्य में भी निरंतर संचालित किए जाते रहेंगे, जिससे आमजन में सुरक्षा की भावना सुदृढ़ हो तथा अपराध पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सके।

पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद में संचालित "ऑपरेशन क्लीन" अभियान के अंतर्गत आज थाना लोनी क्षेत्र में अपराधियों / हिस्ट्रीशीटरो के सत्यापन हेतु विशेष अभियान चलाया गया।

श्री जे. रविन्दर गौड पुलिस आयुक्त गाजियाबाद के निर्देशन में संचालित "ऑपरेशन क्लीन" अभियान के अंतर्गत श्री केशव कुमार चौधरी, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय के पर्यवेक्षण तथा श्री सुरेन्द्र नाथ तिवारी, पुलिस उपायुक्त ग्रामीण के नेतृत्व में सहायक पुलिस आयुक्त, थाना प्रभारी व अन्य पुलिस कर्मियों के साथ टीमें गठित कर **यक्ष एप पर पंजीकृत अपराधियों के सत्यापन** के विषय में आज दिनांक 07.06.2026 को थाना लोनी क्षेत्र में अपराधियों के सत्यापन हेतु विशेष अभियान चलाया गया जिसके तहत **655** अपराधियों का भौतिक सत्यापन किया गया। अबतक अभियान के अन्तर्गत थाना लोनी क्षेत्र में **2704** अपराधियों का भौतिक सत्यापन किया जा चुका है। इसी क्रम में पुलिस द्वारा विभिन्न अपराधियों का सत्यापन किया गया। अभियान का उद्देश्य क्षेत्र में अपराध नियंत्रण, कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखना तथा आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करना रहा।

अभियान की प्रमुख कार्यवाहीः-

- थाना लोनी पर पंजीकृत लूट, हत्या, स्नैचिंग एवं हिस्ट्रीशीटर अपराधियों का विशेष स्वसत्यापन किया गया
- संबंधित अपराधियों के वर्तमान निवास स्थान, रोजगार, गतिविधियों एवं अन्य आवश्यक विवरणों का सत्यापन किया गया।
- पूर्व से शरीर एवं संपत्ति संबंधी अपराधों में संलिप्त रहे अपराधियों की वर्तमान गतिविधियों की समीक्षा कर उन पर प्रभावी निगरानी सुनिश्चित की गई।
- सत्यापन के उपरांत सभी अपराधियों को भविष्य में किसी भी प्रकार का अपराध न करने तथा अवैध गतिविधियों से दूर रहने हेतु निर्देशित किया गया।
- अपराधियों को आमजन में भय अथवा असुरक्षा का वातावरण उत्पन्न न करने तथा कानून का पूर्णतः पालन करने हेतु निर्देशित किया गया।

सभी सत्यापित अपराधियों को चेतावनी दी गई कि भविष्य में किसी भी प्रकार की आपराधिक अथवा अवैध गतिविधि में संलिप्त पाए जाने पर उनके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

पुलिस का संदेशः-

शासन की मंशा के अनुरूप थाना लोनी क्षेत्र में पुलिस शांति, सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। अपराधियों की निगरानी, सत्यापन एवं अपराध नियंत्रण हेतु ऐसे विशेष अभियान भविष्य में भी निरंतर संचालित किए जाते रहेंगे, जिससे आमजन में सुरक्षा की भावना सुदृढ़ हो तथा अपराध पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सके।